न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 77/2015

1 श्रीराम पुत्र सेडुराम उम्र 46 साल जाति माली निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 नानुराम पुत्र बदरूराम जाति माली निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 पूर्णमल पुत्र सेडुराम
3 शंकर पुत्र श्योपाल
4 प्रभात राम पुत्र लिखमाराम
समस्त जातिगण माली निवासीगण ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
5 दयालाराम पुत्र लिखमाराम नोट– दौराने अपील विचाराधीन मृत्यु हो गई।
5/1 रोहिताश पुत्र
5/2 महाबीर पुत्र
5/3 बिमला देवी पुत्री
5/4 धापा देवी पुत्री
5/5 ऑची देवी पुत्री
5/6 श्रीमती अणची देवी स्त्री स्व. दयालाराम समस्त जातिगण माली निवासीगण सुनारावाला कुआं तन पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
6 हणमान पुत्र लिखमाराम नोट– दौराने अपील विचाराधीन मृत्यु हो गई।
6/1 मदनलाल पुत्र
6/2 फूलचन्द पुत्र
6/3 प्रहलाद पुत्र
6/4 कैलाश पुत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

6/5 हरिराम पुत्र
6/6 गोकुलचन्द पुत्र
6/7 राजेन्द्र पुत्र
6/8 माया देवी पुत्री
6/9 श्रीमती लाड़ौडी स्त्री स्व. हनुमान जाति माली निवासीगण सुनारावाला कुआं तन पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
7 रणवीर सैनी पुत्र श्री रोहिताश सैनी जाति माली निवासी ढाणी सुनारावाली तन पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
8 हल्का पटवारी ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
9 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध प्राथमिक डिकी दिनांक 16.06.2015 मुकदमा उनवानी नानूराम बनाम श्रीराम वगै. मु.नं. – 158/2014 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविराज सिगोदिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री बजरंगलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 8/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 158/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी ने एक वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2616/2087, 2617/2131 वाके ग्राम पौंख का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकर कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रकरण सहमति से रिमांड करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष ने वरवक्त बहस सहमति व्यक्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमांड करने का निवेदन किया है। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने आदेशिका पर सहमति के हस्ताक्षर भी किये है।

उपरोक्त विवेचन एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 8/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर